<u>नीलाम की सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए सिविल कोर्ट नगीना, जिला बिजनौर में स्थित निम्नलिखित ठेके का पुनः नीलाम दिनांक 05–06–2024 को समय दोपहर 1:00 बजे से सिविल कोर्ट नगीना जिला बिजनौर में निम्न प्रकार शुरू किया जायेगा।

नीलाम की एवं आवश्यक जानकारी कार्यालय नजारत अनुभाग सिविल कोर्ट नगीना जिला बिजनौर से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे सांय 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। नीलाम की शर्तें एवं आवश्यक जानकारी न्यायालय बिजनौर की बेवसाईट **www.e-courts.gov.in/ bijnor** पर भी प्राप्त की जा सकती है। नीलाम में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियत समय एवं स्थान पर अपना पहचान पत्र एवं पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटों लेकर नीलाम में भाग ले सकते हैं। केवल नीलाम में भाग लेने वाला सदस्य ही न्यायालय परिसर, नगीना, में नीलाम हेतु उपस्थित रहेगा। नीलाम की शर्तें संलग्न हैं।

<u>नीलाम होने वाले ठेके का विवरण व समय</u>

कम सं0	**नाम ठेका**	**समय**
1.	चाय व नाश्ते की कैन्टीन	अपराह्न समय 1:00 बजे से 2:00 बजे तक

<u>दि0–31.05.2024</u>

(अनुपम सिंह)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/अपर जिला जज,
नगीना, जिला बिजनौर।

<u>नीलाम की सूचना निम्नलिखित स्थानों पर सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु चस्पा की जाये–</u>

1. सिविल कोर्ट नगीना, जिला बिजनौर।
2. कार्यालय तहसील, नगीना, जिला बिजनौर।
3. कार्यालय नगरपालिका परिषद नगीना, जिला बिजनौर।
4. कार्यालय जिला सूचना अधिकारी को वास्ते प्रकाशन निःशुल्क स्थानीय समाचार पत्र।
5. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर जनपद न्यायालय बिजनौर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह नीलाम की सूचना एवं शर्ते जनपद न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

<u>दि0–31.05.2024</u>

(अनुपम सिंह)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/अपर जिला जज,
नगीना, जिला बिजनौर।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सिविल कोर्ट परिसर नगीना में स्थित चाय कैन्टीन की नीलामी की शर्ते निम्नलिखित है–

1. चाय कैन्टीन की सरकारी बोली अंकन 2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपए)होगी तथा ठेका दिनांक 31–03–2025 तक रहेगा।
2. अंतिम बोली का 1/2 धन जमानत के रूप में उसी समय न्यायालय में जमा करना होगा।
3. निर्धारित मूल्य पर खाद्य पदार्थ बेचना होगा व प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता/क्वालिटी का विशेष ध्यान देना होगा। ठेकेदार द्वारा घटिया सामान/बासी सामान नहीं बेचा जायेगा।
4. नीलाम सबसे अधिक बोली बोलने वाले के नाम छोडा जायेगा।
5. ठेकेदार कैन्टीन प्रत्येक कार्य दिवस को तथा लोक अदालत में भी खोलेगा।
6. ठेकेदार कैन्टीन के बाहर कूडा आदि एकत्रित नहीं करेगा, सफाई व पानी की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं करेगा।
7. ठेका अवधि के दौरान यदि कोई राजकीय क्षति होती है तो उसका ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
8. ठेकेदार किसी प्रकार के तम्बाकू, सिगरेट व गुटखा आदि को नहीं बेचेगा।
9. नीलाम माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की स्वीकृति के उपरांत माननीय होगा तथा नीलाम की शेष 1/2 धनराशि क्रमशः दिनांक 30.9.2024 व 31.12.2024 तक जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की बसूली भू–राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
10. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को 10 हजार रूपये जमानत की राशि अग्रिम रूप में जमा करनी होगी, जो कि ठेके की राशि में समायोजित हो जायेगी।
11. ठेकेदार चाय कैन्टीन को किसी अन्य ठेकेदार को नहीं देगा।
12. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी। जिस व्यक्ति को बोली स्वीकृत होगी, उसका अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 देनी होगी।

दिनांक–31–05–2024

(अनुपम सिंह)
अध्यक्ष
नीलाम समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नगीना, जिला बिजनौर।